



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास व 30,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 25.07.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में 01 आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 03.06.2023 को अभियुक्त अन्नू पुत्र राजू निवासी ग्राम हैदरपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 253/2023 धारा 323, 506, 376(3) भादवि व 5(1)/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 18.06.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया
- आज दिनांक 25.07.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम हापुड़ द्वारा आजीवन कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमती करुणा नगर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री रमेश चंद्र एवं पैरोकार म0का0 रीटा व कोर्ट मोहरीर है0का0 सनोज कुमार का विशेष योगदान रहा।

